


20117000

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी / गोपालराम पुत्र गोमाराम जाट चावण्डिया	ब ना म	प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 208 / 2022	GCMS No. 2022/ 404	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.12.2022	<p>वादी/प्रार्थी गोपालराम पुत्र गोमाराम जाट चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवों के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्बत 2076-2079 ग्राम बेगपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 83 प्रस्तुत कर कथन किया है। प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि गोरधनराम पुत्र गोमाराम जाट हिस्सा 1/4 हिस्सा चावण्डिया अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम गोपालराम पुत्र गोमाराम जाट चावण्डिया तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 801082629385 मतदाता पहचान पत्र KWJ/2376903 अन्य दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डिया के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं उपरोक्त दस्तावेज की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी चावण्डिया भू.अ.नि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त अशुद्धि कब हुई उस राजस्व रेकर्ड की नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> 